संख्या- 680 /26-1-2026/1933428

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2026

विषयः जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 93 उप प्रधानाचार्य के पदो के सृजन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5162/स0क0/ए0टी0एस0/अ0से0नि0-31/2023-24 दिनांक 19.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग में प्रारम्भ से संचालित 01 विद्यालय, शासनादेश संख्या-3051(1)/26-1-2005-10(10)/2005 दिनांक 20.12.2005 द्वारा सृजित/उच्चीकृत 54 विद्यालय, संख्या-605/26-1-ब0प्र0/2010-14(19)/2003 दिनांक 14.07.2010 द्वारा सृजित 10 विद्यालय, संख्या-1529/26-3-2011 दिनांक 01.06.2011, द्वारा सृजित 11 विद्यालय, संख्या-927/26-3-2014-10(5)/2013 दिनांक 05.09.2014 द्वारा सृजित 9 विद्यालय एवं शासनादेश संख्या-151/2016/1353/26-3-2016-10(5)/2013 दिनांक 01.08.2016 द्वारा सृजित 08 विद्यालय अर्थात कुल 93 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों, जहां उप प्रधानाचार्य के पद सृजित नहीं हैं, में निम्नलिखित विवरण के अनुसार 93 उप प्रधानाचार्य के अस्थायी पदो (प्रति विद्यालय 01 पद) को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में दिनांक 28.02.2027 तक, यदि यह पद इसके पूर्व ही बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जाए, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पे0 मैट्रिक्स लेवल का वेतनमान	प्रति विद्यालय पदों की संख्या	93 विद्यालयों में पदों की संख्या	वित्त विभाग द्वारा संस्तुत पदों की संख्या
1	उप प्रधानाचार्य	वेतन बैण्ड-3 15600-39100 पे-ग्रेड 5400 दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पे0 मैट्रिक्स लेवल-10 ₹ 56100-177500	01	93	93

I- उपर्युक्त पद के पदधारको को संबंधित वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल के अतिरिक्त महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तें एवं सुविधायें जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जाये, देय होगें।

II- उपरोक्त पद/संवर्ग के संबंध में सेवा नियमावली का संशोधन यथाशीघ्र किया जायेगा।

2- उपरोक्त सृजित हो रहे पदो पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-अनुदान संख्या-83-225-01-789-12-00-225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-00- के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के यू.ओ. संख्या-E-4-271-X-2025-26 दिनांक 17-03-2026 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उ०प्र०।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
11- निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAJENDRA SINGH
Date: 19-03-2026
12:33:31

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।